Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 107–2018/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 29 जून, 2018
(8 आषाढ़, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं।	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं।	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का०आ०34/ह०अ०30/1970/धा०22/2018, दिनांक 29 जून, 2018 –हरियाणा पशु मेला (संशोधन) नियम, 2018।	499—500
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 जून, 2018

संख्या का०आ०34/ह०अ०30/1970/धा०22/2018.– हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970 (1970 का 30), की धारा 22 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पशु मेला नियम, 1970, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा पशु मेला (संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा पशु मेला नियम, 1970 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"3. (1) किसी पशु मेला मैदान में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रवेश द्वार पर दस रूपये के संदाय पर स्वयं को पंजीकृत करवाएगा।

(2) पशु मेला में पशु विक्रय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे पशु के संबंध में एक सौ रूपये की फीस के संदाय पर प्ररूप सी0एफ0आर0–1 में प्रमाण पत्र लेखक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

(3) पशु मेला में पशु विक्रय अथवा क्रय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति विक्रय संव्यहार के संबंध में प्रमाण–पत्र लेखक को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करेगा, जो उसे आयु में 24 मास से बडे पशुओं अर्थात् गाय, भैंस, ऊंट, गधा, घोडा, तथा खच्चर के लिए विक्रय मूल्य के चार प्रतिशत की दर पर या एक हजार रूपए, जो भी अधिक हो, तथा छोटे पशुओं अर्थात् भेड़, बकरी तथा गाय, भैंस, ऊंट, गधा, घोडा तथा खच्चर के बच्चों, जो छह मास से कम और चौबीस मास की आयु से अधिक के न हों, के लिए विक्रय मूल्य के चार प्रतिशत की दर पर या तीन–सौ रूपए, जो भी अधिक हो, क्रेता तथा विक्रेता द्वारा क्रमशः पचहतर प्रतिशत तथा पच्चीस प्रतिशत के अनुपात में फीस का संदाय करने पर प्ररूप सी0एफ0आर0–1 में पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करेगा उक्त बड़े पशुओं के साथ विक्रय किए गए उनके बच्चे अथवा छोटे पशुओं, जिनकी आयु छह मास से कम हो के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 6 में, उप–नियम (1) में, "एक सौ रूपये" शब्दों के स्थान पर, "पांच सौ रूपये" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 9 में,:–

(i) उप–नियम (1) में, "जिला स्तर पर जिले के उपायुक्त तथा राज्य स्तर पर विकास तथा पंचायत विभाग के लेखाधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "निदेशक, विकास तथा पंचायत, हरियाणा" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे,

(ii) उप–नियम (2) में, "जिले के उपायुक्त तथा विकास तथा पंचायत विभाग के लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "निदेशक, विकास तथा पंचायत, हरियाणा" अथवा ऐसा अधिकारी, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे,

(iii) उप–नियम (4) में, "उपायुक्त तथा विकास तथा पंचायत विभाग के लेखाधिकारी," शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "निदेशक, विकास तथा पंचायत, हरियाणा" अथवा ऐसा अधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे,

(iv) उप–नियम (5) का लोप किया जाएगा;

(v) उप–नियम (6) में, "उपायुक्त तथा विकास तथा पंचायत विभाग, चण्डीगढ़ के लेखाधिकारी," शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "निदेशक, विकास तथा पंचायत, हरियाणा" अथवा ऐसा अधिकारी, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे , तथा

(vi) उप–नियम (7) का लोप किया जाएगा।

5. नियम 9 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"9क. निधि का आवंटन.–अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (3) में निर्दिष्ट प्रभारों तथा खर्चों के संदाय के पश्चात्, पशु मेला निधि का बकाया, पशुओं तथा पशुपालन के विकास और उससे आनुषगिंक प्रयोजनों के लिए निदेशक, विकास तथा पंचायत, हरियाणा, सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों को समान अनुपात में आंबटित किया जाएगा।"।

6. उक्त नियमों में, नियम 10 का लोप किया जाएगा।

7. उक्त नियमों में, सी0एफ0आर0 1 में, "दिनांक.....19", शब्द, चिह्न तथा अंकों के स्थान पर "दिनांक.....20", शब्द, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

सुधीर राजपाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT

Notification

The 29th June, 2018

No. S.O. 34/H.A.30/1970/S.22/2018.— In exercise of the powers conferred by section 22 of the Haryana Cattle Fairs Act, 1970 (30 of 1970), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Cattle Fairs Rules, 1970, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Cattle Fairs (Amendment) Rules, 2018.

2. In the Haryana Cattle Fairs Rules, 1970 (hereinafter called the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :-

"3. (1) Every person entering a Cattle fair shall get himself registered at the entry gate on payment of rupees ten.

(2) Every person selling cattle at cattle fair shall obtain a registration certificate from the certificate writer in Form CFR 1 in respect of such cattle on payment of fee of one hundred rupees per cattle.

(3) The persons selling or purchasing a cattle at a cattle fair shall furnish necessary particulars in respect of the sale transaction to the certificate writer, who shall issue a registration certificate in Form CFR 1, on payment of a fee at the rate of four percent of the sale price or one thousand rupees, whichever is higher, for big animals, namely, cow, buffalo, camel, donkey, horse and mule of an age of above twenty four months and at the rate of four percent of the sale price or three hundred rupees, whichever is higher, for small animals, namely, sheep, goat and young-ones of cow, buffalo, camel, donkey, horse and mule of an age of not less than six months and not more than twenty four months by purchaser and seller in the ratio of seventy five present and twenty five present respectively. No fee shall be charged for the young-ones of animals of an age of less than six months sold with said big or small animal.".

3. In the said rules, in rule 6, in sub rule (1), for the words, "one hundred rupees", the words "five hundred rupees", shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 9:-

(i) 'in sub-rule (1), for the words, "Deputy Commissioner of the District at the District level and the Accounts Officer of Development and Panchayats Department at the State level", the words "Director Panchayats", shall be substituted;

(ii) 'In sub-rule (2), for the words and sign, "Deputy Commissioner of the District or the Accounts Officer of Development and Panchayats Department, as the case may be,", the words and sign, "Director Panchayats or by such Officer, as may be appointed by the State Government in this behalf, " shall be substituted ;

(iii) 'in sub-rule (4), for the words and sign, "Deputy Commissioner or the Accounts Officer of Development and Panchayats Department,", the words and sign, "Director Panchayats or of such Officer, as may be appointed by the State Government in this behalf," shall be substituted ;

(iv) sub- rule (5) shall be omitted

(v) 'in sub-rule (6), for the words, "Deputy Commissioner and Accounts Officer of Development and Panchayats Department, Chandigarh", the words and sign, "Director Panchayats or to such Officer, as may be appointed by the State Government in this behalf,"shall be substituted ;

(vi) sub- rule (7) shall be omitted.

5. After rule 9, the following rule shall be inserted, namely :-

"9(A). Allocation of fund.- After payment of the charges and expenditure referred to in sub section (3) of section 16 of the Act, the balance of the Cattle Fair Fund shall be allocated in the equal proportion to the Director Panchayats, all the Zila Parishads, Panchayat Samitis and Gram Panchayats for the development of cattle and animal husbandry and purposes incidental thereto.".

6. In the said rules, rule 10 shall be omitted.

7. In the said rules, in C.F.R.I, for the words, sign and figures, "Dated the ……..19", the words, sign and figures, "Dated the ……. 20", shall be substituted.

SUDHIR RAJPAL,
Principal Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.

56366—L.R.—H.G.P., Chd.